>

Title: Regarding recent incidents of gang rape and brutal killings of girls.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब शून्यकाल ।

SHRI UTTAM KUMAR REDDY (NALGONDA): Hon. Speaker, Sir, I wish to bring to the notice of this House a very painful and inhuman incident that has taken place in Hyderabad city 3-4 days back. On 27th November, 2019 night and in the morning hours of 28th November, 2019, in an inhuman and ghastly incident, a 26-year old lady veterinary doctor was brutally assaulted, gangraped, murdered and burnt. What is shocking is that this incident has taken place in the highest security area of Hyderabad city within walking distance of the international airport. What has also been shocking is the Telangana Home Minister's extremely insensitive remark that the lady would have survived if she had contacted the police instead of calling her family members.

Mr. Speaker, Sir, I would like to bring to the notice of the Central Government that due to the indifference of the local police officials, the family members of the victim had to go by road, by walk, to two or three police stations before an FIR was registered. When they went to the first police station, they were told that this case did not come under their jurisdiction. The police officers, in fact, insulted the family members by saying that their daughter must have eloped with somebody. They were made to walk to another police station which was 4-5 kilometres away. Then, from there they were sent back to the first police station, and only after that, some action started. If the first police station had registered

the case and started the search immediately, definitely, the life of this victim could have been saved. …(*Interruptions*) You speak after me.

Mr. Speaker, Sir, the other thing is that in Telangana State, one of the causes of this incident is the indiscriminate sale of liquor. Despite the Supreme Court's 2016 ruling, which has not allowed liquor to be sold along the national highways and the State highways; liquor was being sold in this particular area. The accused were fully inebriated and in a drunken state. These are two issues that, through this august House, I must bring to the notice of the Central Government.

We all hang our head in shame that a lady Government doctor, returning back from her duty in a high security area, was abducted, gangraped, murdered and burnt. Second is, one of the causes is the sale of liquor. The faulty policies of the Government of Telangana also have caused this incident. We seriously condemn this incident. We request that a fast track court deliver a quick verdict and hang the accused.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संघमित्रा मौर्या, श्री अजय कुमार, श्री मलूक नागर, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

श्री सुधीर गुप्ता को श्री उत्तम कुमार रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, first of all, I join my Telangana friend who has narrated the sad plight of the lady in Telangana.

On 26th November, in the city of Coimbatore, a girl, aged about 12 years only, had been sexually abused on her birthday by a gang of hooligans; and her boyfriend was also stripped severely and thrown out. This sort of incident is taking place in Tamil Nadu very often. My only

request is that the Government of India should not come forward and say that it is a law and order problem of the individual State. Of course, these barbarians, hooligans should be punished severely for the heinous crime committed by them. The Government of India should come forward to take it very seriously so that a proper action could be taken in a time-bound manner because there is a two-in one Government in Tamil Nadu. They can just, over a phone, dictate terms as well, and they can do anything. It is the same Government ruling over there!

माननीय अध्यक्ष : श्री बी. मणिक्कम टैगोर को श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I thank you very much for allowing us to mention the dastardly and heinous crime that took place in Shamshabad near Hyderabad on the night of Wednesday, the 27th, wherein a 26-year old Veterinary Doctor was abducted, gangraped, put alcohol in her mouth and then she was burnt. She was taken to a place 27 kilometres away by a truck driver. Her body was discovered after a full one day. The parents and the family of the girl had to rush from one police station to another police station to find the whereabouts of this young girl.

This brings to my mind the discussion we had in this House on the Nirbhaya rape incident wherein the House decided to enact the strictest laws against rape, after Justice J.S. Verma Committee submitted its report. This highlights the fact that rapes are still happening in this country. The local administration is callous and the Telangana Home Minister makes an insensitive statement. There is outpouring of anger by local residents at the police station. The House

should take cognizance of this serious incident and the tremendous anger that is boiling within the minds of all sensible citizens of India.

I urge the Central Government to immediately bring forward a law to make the rape an offence punishable only by death sentence which is the only fit punishment for such heinous and dastardly crime.

HON. SPEAKER: Shrimati Supriya Sadanand Sule and Shri Gopal Shetty are permitted to associate with the issue raised by Prof. Sougata Ray.

श्री बंदी संजय कुमार (करीमनगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं तेलुगू में बोलना चाहता हूं ।

* Hon. Speaker Sir, an unfortunate incident which happened few days back in Telangana, has created a bad atmosphere throughout the country. It's matter of shame for our civil society that such a heinous crime was committed in Hyderabad, capital city of Telangana. Though there are reforms and facilities, due to lack of awareness on ground level, such incidents are happening. Until unless we punish those culprits immediately, we cannot check such crimes. It is taking years and years to implement punishments awarded by courts in our country. As a result, similar incidents are taking place in due course. Criminals see lacunae in laws; therefore we should immediately punish such culprits. State and Central Governments should collectively implement these laws. There was public outrage and protests on streets of Hyderabad after this incident. Whole country reacted and condemned this incident. There is a public debate on how to respond to such heinous crimes. Instead of conducting seminars for bringing awareness amongst women, we need to concentrate on action and how law is being

implemented. We need to discuss how these laws are helpful to the public. We react on one such incident and demand that such incidents should not happen again. As we are not discussing action to stop such incidents these incidents are happening again and again. There is a need for reforms in our laws. If we bring changes in our laws like fast track disposal of cases and timely punishment to culprits, we can stop such incidents from getting repeated. I appeal through you there should be a debate on this issue. Thank you.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Sir, I am very grateful to you for having given me the time of the House to deliberate on this issue at short notice.

The House spoke in one voice when this House enacted a special law in order to curb gang rapes by awarding the death penalty. That is almost three years' back. The death penalty has been handed out to the four Nirbhaya accused which was confirmed by the Supreme Court, the review and curative petitions were dismissed. We read in the papers that Tihar Jail authorities are still clueless about what to do with them.

Sir, this is unquestionable. The deterrent that this House decided must be put in place. There is no point of a fast track court, there is no point of a conviction, if the ultimate deterrent of hanging is not handed out expeditiously. An example must be made. This House must speak in one voice on non-partisan and non-political lines. This is the collective wisdom, the collective voice of men and women of this House that those who have engaged in this heinous crime must be given expeditious punishment which the House has decided is hanging. It must be done expeditiously.

I urge the Government to move in that direction immediately. Thank you, hon. Speaker.

HON. SPEAKER: Shri Kamlesh Paswan is permitted to associate with the issue raised by Shri Pinaki Misra.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Speaker, Sir, I second what Pinaki Misraji has said. I would like to make one more point.

I remember that Pinakiji spoke when Smriti Iraniji had brought the Bill regarding death penalty. I think, we had a few differences, but they were voiced. I think, the whole message that the country got was that we would have zero tolerance against any crime against any woman. I think, we support the Government. Hon. Rajnath Singhji is also here. So, I take this opportunity to request if he could say two words and assure every citizen. Why only women, even men deserve security.

I think, I condemn it not just as a woman; I hang my head in shame today that we live in a society which has such kind of people. I think, they must be taught a lesson and we must have zero tolerance. I say this in one voice. Even when Smriti Iranji brought the POCSO Bill, we all wholeheartedly supported it. I hope, this Government takes the courage and takes this case to the right logical end.

Thank you.

***SHRIMATI KAVITHA MALOTHU (MAHABUBABAD):** Thank you Sir, for giving me this opportunity. We feel ashamed, when we talk about such incidents. This is an incident where everyone is hanging their head in shame. It's painful when we talk about this incident, where veterinary doctor was not only assaulted, raped and murdered but was also burn by her perpetrators so that her body could not be recognized. This incident has not only pained Telangana but disturbed whole India.

Sir, this gruesome incident reminds us of Nirbhaya case of Delhi which happened in December 2012. The punishment awarded to the perpetrators of Nirbhaya case is yet to be implemented even after seven years. I see that there are political comments and criticism everywhere instead of discussing steps to provide safety to our women by legislating effective laws. There is an urgent need to bring stringent laws to punish culprits who are committing heinous crimes like this on children and women. Every year around 30,000 rapes takes place in our country. We need to hang those culprits, otherwise they will move in our country without fear.

In lines with 'Beti Bachao, Beti Padhao, we should protect our women by bringing stringent laws so that rapists can be hanged to death. We need to pass such law in this Parliament Session itself. As a woman, I am ashamed of this incident and I request everyone through you sir to rise above politics to legislate a law to protect our women.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): अध्यक्ष जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देतवता: ।

हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवी देवता वास करते हैं, ऐसी सोच रखने वाले भारत देश के एक राज्य – तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश की एक बेटी, जो एक पशु चिकित्सक थी, उसके साथ जघन्य तरीके का अपराध हुआ, दुष्कर्म के बाद निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई । मैं अपनी पार्टी - अपना दल की ओर से उसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है, जिसने भारतवर्ष को शर्मसार किया है और पूरे देश की आत्मा को झकझोरा है, पूरे देश की भावनाओं को आहत किया है । इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । सबसे ज्यादा दुखद रहा, जो राज्य सरकार का रवैया रहा । एक एफआईआर करवाने के लिए, पीड़ित परिवार के पक्षों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और राज्य के मुख्य मंत्री जी ने तीन दिन का समय लगाया - एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा करने के लिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में बार-बार दुष्कर्म और निर्मम हत्याओं की घटनाएं होती हैं और हर बार सदन इसी प्रकार चर्चा करता है, एक साथ एक आवाज में खड़ा हो कर निंदा करता है और यह मांग करता है कि देश में महिलाओं के प्रति इस प्रकार से जो अपराध होते हैं, उन पर नियंत्रण हो । लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारी राज्य सरकारें और यहां तक कि केन्द्र सरकार भी इस मामले में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है । हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम हैं, यह कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं ।

मैं इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि इस मामले को जैसे पिनाकी मिश्रा जी ने, मेरे भाई ने कहा कि इस मामले में हमको अबकी बार चुप नहीं रहना है । हमें कड़ा संदेश देते हुए एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष : सुश्री एस. जोतिमणि, आप एक मिनट में अपनी बात कह दीजिए । सभी इस घटना से चिंतित है । लम्बी भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है ।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, I would like to bring it to the notice of the hon. House that a 17-year old girl has been raped in Coimbatore city in Tamil Nadu. A few months before that, hundreds of women were raped through a sex racket in Pollachi District. The women were sedated, raped and the incidents were videographed. They blackmailed the women. They raped them again and again. A State Minister's son and his friends were allegedly involved in those incidents. The culprit is still absconding. Going against the norms and rules the police went and named the victim, that is the lady who filed the complaint, in order to threaten the other women not to come forward and file the complaint. This case has shocked the whole State of Tamil Nadu. This is not a party issue. Cutting across the party lines we have to take a stand. There should be a fast track court to try these cases. There is a law, but it is not being implemented. Every day, every minute, every second, women suffer sexual harassment, violence and rape. We should put an end to this. Thank you.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले हैदराबाद में क्रूरता का जो दर्शन हुआ, उस क्रूरता का निषेध और निन्दा हम शिव सेना पार्टी की तरफ से करते हैं । हालांकि कई महीने पहले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमारे देश में दस मिनट में बलात्कार, खून और ऐसी घटना होती है । दुर्भाग्य से ऐसी घटना जहाँ-जहाँ होती है, वहाँ जो आरोपी रहते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सही वक्त में होने की आवश्यकता है । मेरी विनती है, जैसे पिनाकी मिश्रा साहब ने कहा, इस सत्र में एक बिल लाइए । ऐसी घटना करने वाले, ऐसे आरोपी जो पकड़े जाते हैं, उनको 6 मास के अंदर सज़ा होनी चाहिए …(व्यवधान) ताकि अपने देश में युवतियों की जो सुरक्षा है, युवतियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी शासनकर्ता की होनी चाहिए । इसमें और भी मालूम हुआ कि जहाँ यह घटना हुई थी, शव जल रहा था, वहां कई दिन पहले और एक

बॉडी के साथ ऐसा ही हुआ था । जहाँ बार-बार ऐसी घटनाएँ होती हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता थी, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं । मैं विनती करता हूँ कि इस सत्र में इसके ऊपर कानून लाने की आवश्यकता है । धन्यवाद ।

***SHRI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA):** Thank you Speaker Sir. This is a heart wrenching incident after 'Nirbhaya' case which has disturbed whole nation. All Hon. Members had expressed their concerns. This brutal incident was committed by four young men in their twenties, on a lady veterinary doctor. There should not be any room for politics in this matter. All of us should raise our concern in one voice and vehemently condemn this gruesome incident.

I request Union Government, Hon. Prime Minister and Shri Amit Shah ji, the way Article 370 was revoked which made our Bharat Mata hold her head high, in a similar manner, Government should work with State Governments to bring a law which will scare those with sick mindset. Other honourable member was saying that Goddesses reside where women are respected. We don't need prayers, we don't need respect, just allow women to live freely without fear. Present laws are not helpful. We cannot allow our daughters to go out. Such incidents will compel us to hide our daughters in our homes.

I request Central Government though you Sir, that Central Government and State Governments should wake up to this reality. Liquor and drugs are main reasons for such incidents.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे इस संवेदनशील विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, तेलंगाना में जो घटना घटी है, वह देश को शर्मसार करने वाली घटना है । जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, इसमें राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन को सर्वसम्मति से इसकी केवल निन्दा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों को, जब भी ऐसी घटना हो, किसी भी राज्य में ऐसी घटना हो, उसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए । यह बहुत ही खेद का विषय है कि ऐसी घटनाएं अनेक राज्यों में होती हैं । मैं अभी नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा देख रहा था । वर्ष 2015 से लेकर अब तक अलग-अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में, वर्ष 2015 से जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ रेप और अत्याचार की घटनाओं का डाटा बढ़ा है, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और यह देश से छिपा हुआ नहीं है, मुजफ्फरनगर में हुई, कठुआ में हुई, उन्नाव में घटना हुई, लेकिन हम लोग राजनीति को उसके बीच में ले आते हैं ।…(व्यवधान) हमें राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं की निन्दा करनी चाहिए । जो पिनाकी मिश्रा जी ने कहा है, निर्भया के केस में जिनको ऑलरेडी सजा हो चुकी है, उन लोगों को तुरन्त फाँसी के फंदे पर लटकाना चाहिए । बदकिस्मती इस बात की है कि इस देश में एग्जिक्यूशन भी पॉलिटिकल कंसीडरेशंस के तहत करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए ।…(व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے اس بے حد حسّاس موضوع پربولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔

جناب، تیلنگانہ میں جو گھٹنا پیش ہوئی، یہ ملک کو شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے۔ جیسا کہ میرے سے پہلے کے مقررنین نے کہا، اس میں سیاست سے اوپر اُٹھ کر اس ایوان کو اتفاق رائے سے اس کی مذمّت ہی نہیں کرنی چاہئیے بلکہ ہم لوگوں کو جب ایسا کوئی واقعہ پیش آئےکسی بھی ریاست میں پیش آئےاسے سیاست سے نہیں جوڑا جانا چاہئیے۔ یہ بہت ہی افسوس کا معاملہ ہے کہ ایسے واقعات بہت سی ریاستوں میں ہوتے ہیں ۔ میں ابھی نیشنل کرائم ریکارڈ بیوروں کا ڈاٹا دیکھ رہا تھا۔ سال 2015 سے لیکر اب تک الگ۔الگ۔ ریاستوں میں اس طرح کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے ۔ میں

صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں سال 2015سے جس طریقے سے خواتین کے خلاف عصمت دری اور ظلم و زیادتی کے واقعات کا ڈاٹا بڑھا ہے، پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ ملک سے چھپا ہوا نہیں ہے، مظفرنگر میں ہوا، کٹھوا میں ہوا، اُنّاوُ میں ہوا، لیکن ہم لوگ سیاست کو اس کے بیچ میں لے آتے ہیں۔ (مداخلت)۔۔ ہمیں سیاست سے اوپر اُٹھ کر ایسے واقعات کی شدید مذمّت کرنی چاہیے۔ جو پِناکی مِشرا جی نے کہا ہے، نِربھیا کے کیس میں جن کو آل ریڈی سزا ہو چُکی ہے، ان لوگوں کو فوراً پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہئیے۔ بدقسمتی اس بات کی ہے کہ اس ملک میں عمل درآمد بھی سیاسی کنسیڈریشن کے تحت کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہئیے۔۔ (مداخلت)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती लॉकेट चटर्जी ।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): इससें राजनीति नहीं होनी चाहिए । हैदराबाद की जो घटना घटी है, उससे पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है और दुखी भी है । आप राजनीति की बात कर रहे हैं, वर्ष 2015 से डाटा दिखा रहे हैं, यह डाटा की बात नहीं है, यह सभी महिलाओं की बात है । हम किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग सोचते हैं कि किसके साथ बात करके इसका सोल्यूशन निकलेगा? किसके लिए कैंडल लाइट प्रोटेस्ट करते हैं? हम लोग पुलिस के ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं । हम ऐसा किसलिए करते हैं? क्या हम पुलिस और सरकार के खिलाफ मिशन कर रहे हैं? क्या आप सांसदों के खिलाफ प्रोटेस्ट करके हम लोगों की संसद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बात कीजिए ।

…(व्यवधान)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : देखिए सर, हमें डरना चाहिए ।…(व्यवधान) रेप के बाद सब महिलाएं बाहर जाने से डरती हैं, लेकिन जो रेपिस्ट है, वह बाहर जाने से नहीं

डरता है, क्योंकि कानून उसको नहीं डराता है । आज हमारे घर में भी यह हो सकता है, हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है ।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप इस तरह से खड़ी रहेंगी तो आइन्दा आपको बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर मेरे कहने के बाद भी आप इस तरह से बोलती रहेंगी तो अगली बार आपको इजाजत नहीं मिलेगी ।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ।

जब मैं सदन में ठीक तरीके से चर्चा करा रहा हूँ, तो आप लोग आपस में चर्चा क्यों कर रहे हैं?

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Sir. On behalf of Telugu Desam Party, we strongly condemn

what has happened in Hyderabad. Not just us, I think the whole House strongly condemns this kind of act.

Sir, the moment the incident happened, the young doctor called her sister and what did she say to her sister? She was speaking in Telugu.

*(I am scared)

She was saying, "I am scared, I am afraid". That is not just the fear of that incident that lady was feeling. It is what every girl, every woman, every mother, ever sister is feeling. That is the responsibility that the House should take to create a strong law where the death penalty should be the only punishment when such heinous crimes are committed. As a serious law-making body, our priority should be to protect our women. There should be gender sensitivisation also. Everyone, even the men, boys, should be taught that 'no' means 'no'. This kind of education should be given right from childhood in schools, colleges, work places, organisations etc. This is also something that we have to look at. I would request the Central Government to take this seriously. We have to create a strong law. After *Nirbaya* case also, all these incidents have increased. All over the country such incidents are taking place. Mahatma Gandhi has said, the day a woman can walk freely on the roads at night, that day we can say that India has achieved Independence. …(*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, माननीय राजनाथ सिंह जी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। राज्य सभा में उनका प्रश्न काल है, इसलिए वे संवेदना प्रकट करके अदर हाउस में जाना चाहते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सबको एक बार पूरा मौका दे दिया । अगर इस तरह से सदन में माननीय सदस्य अवमानना करेंगे तो फिर मैं माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दूंगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी, सदन के उप नेता ।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो यह घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता ।

अध्यक्ष महोदय, सचमुच, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है, सभी आहत हुए हैं । मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सब ने जहां इस घटना की भर्त्सना की है, वहीं पर यह भी अपेक्षा की है कि इसमें जो भी अपराधी है, उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था और उस समय लोगों ने यह मान लिया था कि शायद ऐसी घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जघन्य कृत्य हो रहे हैं तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सदन में भी चर्चा कराना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । सारे सदन की भावना को देखकर, इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा, यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है ।

अध्यक्ष महोदय, यह आपके ऊपर निर्भर करता है । यदि आप चर्चा कराना चाहते हैं तो आप चर्चा कराइए ।…(व्यवधान) सदन के सुझाव आने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सचमुच मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों के माध्यम से मैं इस घटना की भर्त्सना करूं । हम सभी आहत हैं । इसलिए मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूं । आप सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए हैं । आप फैसला करें । अगर आप चर्चा कराना चाहते हैं तो चर्चा कराएं । जिस भी प्रकार के कठोर कानून बनाने के ऊपर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं ।…(व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): स्पीकर सर, 26 नवम्बर को जो घटना घटी है concerning Dr. Disha, it was just because of police failure. इस दुर्घटना के पहले वहीं भोंगीर जिले के हाजीपुर में नौ महीने की लड़की को उसकी माँ की गोद से उठा कर ले गए । उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया । सेशन कोर्ट ने उसके हत्यारे को फाँसी की सजा दी । हाई कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रीजनमेंट की सजा दी । मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि माँ की गोद से नौ महीने की बेटी को उठा कर, ले जाकर, उसका रेप करके उसका मर्डर करने वाले आदमी को इतने दिनों तक फाँसी की सजा से क्यों रोका हुआ है? इस सदन को इसे इम्मीडिएट इम्प्लीमेंट करना चाहिए । दिल्ली में निर्भया कांड के बाद निर्भया एक्ट बनाए हुए सात साल हो गए, पर अभी भी उसके दोषियों को फाँसी नहीं दी गई है ।

सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे वह कोयम्बटूर में हो, झारखण्ड में हो, वर्ष 2016 की एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में 5,134 रेप्स हुए, उत्तर प्रदेश में 4,816 रेप्स हुए ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी । राजस्थान में जो घटना घटी है, आप उसका विवरण न दें और दूसरे प्रदेशों का विवरण न दें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनका भाषण कन्क्लूड हो गया । आप उनकी पैरवी न करें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें कनक्लूड करने का मौका दिया । उन्होंने कहा कि राजस्थान में यह घटना घटी है । बहुत सारी घटनाएं राजस्थान में घटी हैं । अभी घटना घटी है । आप हर चीज पर इस तरह की टिप्पणी न करें । आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: सर, मैं कनक्लूड करना चाहता हूं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कंक्लूड कीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: सर, मैं कुछ डिमांड करना चाहता हूं । मोदी जी की 'मन की बात' बहुत सुन लिये ।…(व्यवधान)

… (व्यवधान) *

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष जी, तेलंगाना की घटना बहुत ही दर्दनाक तथा निंदनीय घटना है । इसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है ।…(व्यवधान) अभी-अभी टोंक में 12 साल की बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई और जिस तरह का अत्याचार हुआ, उन पर राजस्थान की सरकार ध्यान नहीं दे रही है । इससे पहले भी राजस्थान की सरकार ने थानागाजी की घटना पर केवल उस…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा श्री मलूक नागर को श्रीमती जसकौर मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय सदस्य, आप अपने सदस्य को समझाएं ।

… (व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब किसी को इस विषय पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं । अब आप सभी

बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुआ हूं । सभी माननीय सदस्य, चाहे वे किसी भी दल के हों, हम सभी को इस प्रकार की घटनाएं तथा अपराध चिंतित करते हैं और हमें आहत भी करते हैं । भारत की संसद ऐसी घटनाओं को लेकर हमेशा चिंतित रही है । सरकार ने भी इस विषय पर सभी राज्यों, देश के किसी भी हिस्से में घटी ऐसी घटना पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसा सदन को अवगत कराया है । किसी भी माँ-बेटी के साथ इस प्रकार के अपराध की हम सब एक स्वर से निंदा करते हैं । सरकार ने कहा है कि इस विषय पर अगर कहीं चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो सारा सदन सहमत है । इस विषय पर बी.ए.सी. के अंदर जब कभी बात होगी तो निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी ।

देश के किसी भी राज्य में ऐसी घटना की पुनरावृति न हो, इसके लिए सदन चिंतित है । हम सब कोशिश करेंगे, इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं । अगर उस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो जैसा सदन सहमत होगा, हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे ।

मैं इस घटना पर सदन की तरफ से दुख व्यक्त करता हूं । ऐसी घटना की पुनरावृति न हो, ऐसी अपेक्षा मैं देश से करता हूं ।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि यह हमारे स्टेट का इश्यू है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब हो गया, क्योंकि आपने बोल दिया है । अब हम इस विषय पर बी.ए.सी. में चर्चा करेंगे ।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव: सर, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ।...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : अध्यक्ष जी, तेलंगाना में चार दिन पहले जो घटना घटित हुई है, उसके लिए हमें बहुत खेद है और यह बहुत दुख की बात है । आज हाउस में भी बहुत सदस्यों ने इस विषय को उठाया है । हाउस में सारे देश से चुनकर सांसद आते हैं । हम सभी को दलगत राजनीति से हटकर यह देखना चाहिए कि देश क्या चाहता है । In the State of Telangana, we have given the highest priority for crimes against women. इसके लिए हमने 'शी टीम्स' बनाई हैं, 'भरोसा' सैंटर्स बनाए हैं और पांच लाख सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं । सोशल मीडिया में भी हमने मैक्सिमम कोशिश की है । डायल 100 में भी काफी कोशिश की है । महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना कुछ करने के बाद भी यह जो घटना हुई है, यह बहुत दुख की बात है । हमने छः घंटे के अंदर 10 पुलिस टीम बनाकर अपराधियों को पकड़ा है और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया है । सदन में दो-तीन पुलिसकर्मियों के बारे में कहा गया, हमने उन्हें सस्पेंड किया है ।

अध्यक्ष जी, माननीय राजनाथ जी ने कहा कि सरकार हर चीज के लिए तैयार है । हम सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं । जब हम 15वीं लोक सभा में थे, उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर भी सदन के सदस्य थे । जब निर्भया केस में एक्ट लाया गया, तो हम सबसे पहले थे, जिन्होंने एक्ट पास करने में साथ दिया । उसी तरह से आईपीसी के कोड को चेंज करने का समय आ गया है । अभी सीआरपीसी एक्ट को भी चेंज करने का समय आ गया है और यह देश का इश्यू बन गया है । आपने इस विषय में बात करने का मौका दिया तो राजस्थान के बारे में बात हुई, तमिलनाडु के बारे में बात हुई, यूपी के बारे में बात हुई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह देश की समस्या है । इस एक्ट को जल्द से जल्द चेंज करने की जरूरत है । फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाकर 30 दिनों में अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए । आप नया एक्ट लेकर आइए, तो हम लोग उस एक्ट को पास कराने में सबसे पहले आगे रहेंगे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : अध्यक्ष जी, तेलंगाना में चार दिन पहले एक 26 साल की वेटरिनरी डाक्टर के साथ यह घटना हुई । वह इनोसेंट थी, ड्यूटी माइंडिड थी और स्टडी माइंडिड थी । वह पशुओं की सेवा करती थी, किसानों की सेवा करती थी । मैं उस परिवार को पहले से जानता हूं । मुझे जैसे ही मालूम पड़ा, मैं हैदराबाद जाकर उनके परिवार से मिला । जैसे ही यह घटना हुई, मैंने लगातार सभी पुलिस अधिकारियों से संपर्क रखा । उसके बाद सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डीजीपी से लगातार बात कर रहा हूं, पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा हूं । यह विषय बहुत ही गंभीर है । आज संसद में सभी पार्टियों के सदस्यों ने, पार्टी से ऊपर उठकर, प्रांतीयता से ऊपर उठकर, भाषायी विविधता से ऊपर उठकर इस इंसीडेंट को कंडेम किया है । श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत सरकार ने माइनर लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए इसी संसद में पॉक्सो एक्ट बनाया, जिसके तहत कंपल्सरी रूप से फांसी सुनानी चाहिए । ऐसा एक एक्ट भी इसी संसद में आपके नेतृत्व में बना है । आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट होना चाहिए, इसकी चर्चा हो रही है, इसके लिए हमारी सरकार तैयार है ।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट के तहत बी.पी.आर.एंड डी. (ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट) एक डिपार्टमेंट है । आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट करने के लिए उसको जिम्मेदारी दी गई है । सभी राज्य सरकारों को इसके लिए चिट्ठी लिखी गई है । इस पर भारत सरकार की तरफ से लीगल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट से सुझाव माँगे गये हैं । हमारी सरकार तैयार है । इसका ड्राफ्ट भी रेडी है । बी.पी.आर. एंड डी. को जिम्मेदारी दी गई है ।

संसद के समक्ष इसे लाने के लिए होम मिनिस्टर आदरणीय श्री अमित शाह जी चर्चा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं । मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंसीडेंट्स पर पुलिस को ऐक्टिवली काम करना चाहिए ।

मैं पीड़िता के परिवार से मिला हूँ । अभी उसके बारे में कुछ कहने का समय नहीं है । इस इंसीडेंट पर विदेशों में भी डेमोंस्ट्रेशन हो रहे हैं । निर्भया के

इंसीडेंट में कम से कम उसके परिवार को उसकी बॉडी तो मिली थी । मगर इस इंसीडेंट में न उसकी बॉडी मिली, न बात हो सकी । यह एक भयंकर घटना है । ऐसा देश भर में हो रहा है । इसके लिए भारत सरकार कानून में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है । सभी पार्टियों से मिलकर इस समस्या को हल करना चाहिए । इसमें सभी एनजीओज को भी इनवॉल्व करना चाहिए ।

मैं एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा । एक एमरजेंसी रेस्पांस सपोर्ट सिस्टम लागू किया गया है । देश भर में 112 एक इंटीग्रेटेड नम्बर शुरू किया गया है । यह सभी प्रांतों में शुरू हो गया है । तेलंगाना में यह अभी-अभी शुरू हुआ है । दिल्ली में भी मैंने कुछ नम्बर शुरू किये हैं, उनमें 100, 101,102 और 108 हैं । अगर इन सभी नम्बरों पर कॉल किया जाए, तो वह उसके परिवार, लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल एसीपी, डीसीपी आदि 10 अधिकारियों के पास एक बार में ही कॉल जाती है । उसके साथ-साथ यह नम्बर सैटेलाइट के द्वारा भी ट्रैक किया जाता है । लड़की कितनी दूरी पर है, किधर है, जो हेल्प चाहती है, उसके बारे में सभी लोगों को मालूम पड़ता है । इसके संबंध में कल मेरा एक प्रश्न भी है, जिस पर मैं डिटेल में बताऊँगा ।

भारत सरकार महिलाओं और लड़कियों की रक्षा के विषय पर, इनवेस्टिगेशन के विषय पर, प्रॉसिक्युशन के विषय पर कमिटेड है । जिस तरह से टेररिज्म पर भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, उसी तरह से महिलाओं के प्रति अत्याचार पर भारत सरकार आने वाले दिनों में जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी ।

माननीय अध्यक्ष:माननीय सदस्य, आपकी नेता कविता जी बोल ली हैं ।

डॉ. शशि थरूर जी ।

…(व्यवधान)